

संपत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

~~बरे~~ Darbhanga

प्रमाण पत्र सं० 728 / 2020

चूंकि श्री विष्णु मांन खा S/O P-5 नाकापण खा
सा. बलमपुर (62 भोवा)

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संख्याधारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संख्याधारों एवं अवभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1-1-08 से ता० 19-3-2020 तक तलाश कि गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्याधारों और अवभारों का पता चला है। नए

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भोजा -	बलमपुर	पता 1, 534 पं - 62 भोवा					
			खान 1071, 1062, 301 खान 2464/2757, 2169 मात्र					

जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा

ज्ञाप सं० 728 दिनांक 21-1-20

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, ID.B.T

Darbhanga

को सूचना

21/3/20 जिला अवर निबंधक
 21/3/20 जिला अवर निबंधक
 दरभंगा

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक पत्र की दशा में ध्याज की दर और भुगतान की अधि दर्ज करें प्रशंति कि इसका उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है।
निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया:-

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) लिपिक

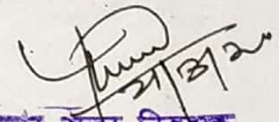
तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की :-

(हस्ताक्षर) 21/3/20 412910

(पदनाम) लिपिक

कार्यालय:- जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा

तारीख 21/3/20 मुहर


जिला अवर निबंधक
जिला अवर निबंधन पदाधिकारी
दरभंगा
21/3/20

- टिप्पणी : इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति वियाग के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो तो ऐसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन आधिनियम धारा 57 के अन्तर्गत जो व्यक्ति वारंटों और अनुक्रमांशों (इन्डक्स) का प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वही और अनुक्रमांशों उनके सामने रख दी जायेंगी।
(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी।
(ख) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है चूँकि उसके द्वारा दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छुट के लिए किसी भी तरह संबंध न होना जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।